[2010] 7 एस.सी.आर. 79

अदालत पंडित एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 716-717)

14 मई, 2010

**[वी. एस. सिरपुरकर और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण)**

*दंड संहिता, 1860 - धारा 147, 148, 302, 302 आर/डब्ल्यू 34, 109 और 149 - हत्या - आम के बाग के स्वामित्व और कब्जे को लेकर पक्षों के बीच दुश्मनी - आम तोड़ने को लेकर झगड़ा - ग्यारह आरोपियों ने गैरकानूनी रूप से एकत्र होकर शिकायतकर्ता और उसके दो बेटों पर हमला किया - बेटों पर गोलियां चलाई गई, भालों से बेरहमी से हमला किया गया और शव को कुछ दूरी तक घसीटा गया, जिससे तत्काल मौत हो गई - विचारण न्यायालय द्वारा 11 आरोपियों को धारा 147, 148, 302, 302 के साथ धारा 34, 109 और 149 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया - उच्च न्यायालय ने 9 अभियुक्तों की दोषसिद्धि बरकरार रखी - अपील पर, अभियोग चलाया गया: अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि ए-1, ए-5 और ए-9 का हत्या करने का समान इरादा था - इस प्रकार, संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया - ए-2, ए-3, ए-4, ए-6, ए-7 और ए-10 गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य थे - उनकी सक्रिय भागीदारी थी - ए-4 ने वास्तव में बंदूकें चलाई थी - सभी गवाहों द्वारा ए 4, ए-7 और ए-10 पर विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया गया - प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य, यद्यपि पक्षपातपूर्ण थे, स्वीकार किए जाने चाहिए - ए 3 और ए-10 की अन्यत्र उपस्थिति की दलील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया -*

*इस प्रकार, ए-2, ए-3, ए-4, ए-6, ए-7 और ए-10 की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई - शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 27।*

**अभियोजन पक्ष के अनुसार, आम के बाग के स्वामित्व और कब्जे को लेकर आरोपी व्यक्तियों और शिकायतकर्ता के बीच भयंकर दुश्मनी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा बनाई और अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एस.एन. और उसके भाई पी.एन. की हत्या कर दी। ग्यारह आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता के आम के बगीचे में जबरन आम तोड़ने गए। जब शिकायतकर्ता ने अपने दो बेटों एस.एन. और पी.एन. के साथ मिलकर आरोपियों द्वारा आम तोड़ने के कृत्य का विरोध किया, तो आरोपियों ने आग्नेयास्त्रों और भाले से उन तीनों पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एस.एन. और पी.एन. की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों को धारा 147, 148, 302, 302 आरडब्ल्यू धारा 34 तथा आरडब्ल्यू धारा 109 और 149 भा.दं.सं. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। मुकदमे के दौरान ही ए4 की मृत्यु हो गई और ए8 को किशोर न्याय अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। इसलिए नौ अभियुक्तों ने यह अपील दायर की।**

**ए-1, ए-5 और ए-9 की अपीलों को स्वीकार करते हुए और ए-2, ए-3, ए-4, ए-6, ए-7 और ए-10 की अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने**

**अभिनिर्धारित: 1.1 अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-4, अभियोजन साक्षी-5, अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8 के साक्ष्यों की सराहना करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि घटना की उत्पत्ति केवल इस तथ्य में निहित है कि जब आरोपी व्यक्तियों ने आम तोड़ने पर जोर दिया, तो शिकायतकर्ता और उसके बेटों ने इसका विरोध किया। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष सही ढंग से दर्ज किया है कि जिस समय दोनों**

पक्षों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसी समय आगे की घटनाओं के बीज बोये गये। अंततः, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्तों की पहचान पूरी तरह से स्थापित की गई थी और सभी अपीलकर्ता अपने-अपने हथियारों के साथ एक गैरकानूनी समूह के सदस्यों के रूप में घटना स्थल पर गए थे, जिसका एक सामान्य उद्देश्य सूचक के बगीचे में आम की फसल की कटाई का अधिकार जताना था और वे अभियुक्तों द्वारा ले जाए गए हथियारों की मदद से किसी भी प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार थे और दोनों मृतकों पर गोलीबारी के पीछे यही सामान्य उद्देश्य था, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उन अभियुक्तों को दोषी ठहराया जिनके विरुद्ध विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध थे। [कंडिका *7*] [91-जी-एच; 92-ए-डी]

1.2 यह नहीं कहा जा सकता कि ए-1, ए-5 और ए-9 की हत्या करने की मंशा थी और केवल घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य नहीं कहा जा सकता और उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गवाहों के साक्ष्य को बारीकी से देखा जाता है। निस्संदेह इन तीन अभियुक्तों का उल्लेख किया गया था और अभियोजन साक्षी-2 द्वारा केवल इतना कहा गया है कि ए-5 के पास *लाठी* थी। गवाह ने ए-1 और ए-9 के पास भी कोई हथियार होने का उल्लेख नहीं किया है। अभियोजन साक्षी-4 के संबंध में, उन्होंने ए-1 और ए-5 के पास लाठी होने का, जबकि ए-9 के पास भाला (भाला) होने का उल्लेख किया। हालाँकि, उन्होंने इन अभियुक्तों की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य या उनके द्वारा भाले के प्रयोग का उल्लेख नहीं किया। अभियोजन साक्षी-5 ने ए-1 और ए-2 के पास *लाठी* होने का उल्लेख किया। उन्होंने सामान्य बयान दिया कि अन्य सभी आरोपी व्यक्ति भाला पकड़े हुए थे। हालाँकि, अभियोजन साक्षी 5 ने ए-1, ए-5 और ए-9 की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया। अभियोजन साक्षी 6 अपने बयान से पलट गया।

अभियोजन साक्षी-*7* ने यह भी बताया कि ए-1, ए-5 और ए-9 *लाठी* लिए हुए थे। अभियोजन साक्षी-8 के मामले में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। उसकी गवाही बेहद सामान्य है। कुछ गवाहों ने मृत अभियुक्तों द्वारा दी गई सलाह का उल्लेख नहीं किया। कम से कम जहां तक वर्तमान अभियुक्तों का संबंध है, ए-1, ए-5 और ए-9 द्वारा निभाई गई भूमिका प्रत्यक्षदर्शियों की प्रतीत होती है। खेत पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच न्यायालयी मुकदमा भी चल रहा था। इसलिए, केवल इसलिए कि आरोपी व्यक्ति लाठियाँ और हथियार लेकर मैदान में गए थे, कम से कम उस समय तक जब तक शब्दों का आदान-प्रदान शुरू नहीं हुआ और गोली नहीं चली, यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी सभा गैरकानूनी हो गई थी। यह सभा तब गैरकानूनी हो जाएगी जब मृत अभियुक्त ने कथित तौर पर ए-4 को गोलीबारी का आदेश दिया और उसने उसके अनुसरण में एसएन पर गोलीबारी की। निस्संदेह, इन ए-1, ए-5 और ए-9 ने मूकदर्शक की भूमिका निभाई, क्योंकि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने शब्दों के आदान-प्रदान में भाग लिया था। ऐसी परिस्थितियों में, ए-1, ए-5 और ए-9 की उपस्थिति के आधार पर, भले ही वे *लाठियों* से लैस हों, उनके लिए एक समान उद्देश्य का आरोप लगाना मुश्किल होगा। ए-5 के पास भाला होने का कोई सबूत नहीं है। ऐसी स्थिति में, संदेह का लाभ इन तीनों अभियुक्तों को मिलना चाहिए। वे बरी होने के हकदार होंगे क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि हत्या करने का उनका एक समान इरादा था। [कंडिका 8] [92-ई-एच; 93-ए-जी]

1.3 ए-2 और ए-6 ने केवल पीएन के शरीर को घसीटा था। यह निश्चित रूप से इन दोनों आरोपी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी होगी। गोलीबारी के बाद भी शव को मैदान से घसीटने का खुला कृत्य जारी रखना निश्चित रूप से उन्हें उस गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा बना देगा, जिसका सामान्य उद्देश्य एसएन और पी.न को खत्म करना था। पीएन के शव को घसीटने

में इन दोनों आरोपियों की भूमिका का गवाहों द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि ए-2 और ए-6 भी उन्हीं कारणों से बरी होने के हकदार होंगे जिनके लिए ए-1, ए-5 और ए-9 को बरी किया गया है। वे गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य थे। यही स्थिति ए-4, जिसने असल में बंदूकें चलाई थी, ए-7 और ए-10 के मामले में भी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये साक्ष्य उनके विरुद्ध हैं। वे निश्चित रूप से गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और लगभग सभी गवाहों ने विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। ए-4 के संबंध में सभी गवाह एकमत हैं कि उसी ने गोली चलाई थी। [कंडिका 9 और 10] [94-ए-एफ]

1.4 ए-7 और ए-10 ने पीएन पर हमला करने में सक्रिय भाग लिया, जबकि पीएन के शव को ए-2 और ए-6 द्वारा घसीटा गया। गवाहों ने विशेष रूप से पीएन पर हमला करने के लिए इन आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया। इन अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, संतोषजनक है और उन गवाहों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जिन्होंने पीएन पर हमले के संबंध में इन अभियुक्तों पर विशिष्ट प्रकट कृत्यों का आरोप लगाया है। जहाँ तक ए-10 का सवाल है, दलील *अन्यत्र उपस्थिति* की थी, जबकि दलील को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उनकी गवाही के लिए बचाव साक्षी-20, बचाव साक्षी-21, बचाव साक्षी-22, बचाव साक्षी-25 और बचाव साक्षी-26 के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। ए-10 द्वारा दी गई गैरहाजिरी की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर अविश्वास किया जाना चाहिए, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय और अपीलीय न्यायलय द्वारा किया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेषकर चश्मदीद गवाहों, जिन्होंने विशेष रूप से इस आरोपी व्यक्ति को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था, के साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है। ए-7 और

ए-10 की अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वे गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। इसलिए, धारा 149 भा.दं.सं. की सहायता से ए-7 और ए-10 को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। [कंडिका 11] [94-जी-एच; 95-ए-बी; 96-ए-सी]

1.5 ए-3 का ज़िक्र लगभग सभी गवाहों ने किया। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने ए-3 द्वारा एसएन का पीछा करने और उसकी पीठ पर भाले से वार करने के स्पष्ट कृत्य का ज़िक्र किया। जहाँ तक अभियुक्त के उक्त कृत्य का संबंध है, अभियोजन साक्षी-2 ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्टता दिखाई। कुछ प्रति-परीक्षण से यह पता चला कि अभियोजन साक्षी-3 के पास हमले में भाग लेने का कोई कारण या मकसद नहीं था। हालाँकि, प्रत्यक्ष कृत्य के संबंध में अभियोजन साक्षी-2 के साक्ष्य में मुख्य दावा अडिग रहा। अभियोजन साक्षी-4 की कहानी भी ऐसी ही है। जहां तक मुख्य घटना का संबंध है, अभियोजन साक्षी-4 की प्रति-परीक्षण भी कोई महत्व नहीं रखता। अभियोजन साक्षी-5 ने भी प्रति-परीक्षण में इस संस्करण को कोई ठोस चुनौती दिए बिना यही कहानी दोहराई। सभी गवाहों को एक विशिष्ट सुझाव दिया गया था जैसे कि ए-3 ने इन गवाहों पर लगान (कर) का अधिपत्र जारी किया हो। अभियोजन साक्षी-7 ने भी यही कहानी दोहराई और मुख्य घटना पर बहुत कम या बिल्कुल भी प्रति-परीक्षण नहीं की गई। अभियोजन साक्षी 7 की प्रति-परीक्षण में भी यही रूढ़िवादी सुझाव दिया गया था कि ए-3 ने अभियोजन साक्षी 7 के पिता के विरुद्ध लगान जारी किया था, जिससे दुश्मनी का संकेत मिलता है। अभियोजन साक्षी-8 एकमात्र अपवाद है, जिसने यद्यपि ए-3 के पूरी तरह से सशस्त्र होने का उल्लेख किया, परन्तु ए-3 द्वारा एसएन को भाले से छेदने के प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया। अन्य चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन साक्षी 8 के साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा। एसएन और पीएन पर भाले से लगी चोटों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों

के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से भी होती है क्योंकि एसएन और पीएन दोनों को छर्रों से हुए घावों के अलावा भेदन घाव और चीरे हुए घाव भी थे। शव-परीक्षण प्रतिवेदन डॉ. एस (मृत) द्वारा तैयार की गई थी, जैसा कि डॉ. जे ने साबित किया है, जिन्होंने शव-परीक्षण प्रतिवेदन में पाई जाने वाली सभी चोटों को साबित कर दिया है। इसलिए, इस तर्क के लिए बहुत कम गुंजाइश है कि ए-3 गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं था और उसने गोली चलाए जाने के बाद एसएन को भाले से घायल नहीं किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि ए-3 संबंधित नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है। [कंडिका 12] [96-ए-एन-डी; 97-ए-ई]

1.6 गवाह - अभियोजन साक्षी 14, बचाव साक्षी 1 से 5, आर.एस., बचाव साक्षी 7 से 11, बचाव साक्षी 16 और बचाव साक्षी 17 सभी इच्छुक गवाह थे क्योंकि वे ए-3 के सहकर्मी थे। घटनास्थल और आरोपी ए-3 के मौजूद होने का दावा करने वाले स्थान के बीच की दूरी बेहद कम है। बेशक, यह 3 या 4 किलोमीटर है। जब सभी गवाहों ने दावा किया कि उगाही का काम सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था, तो यह दावा स्वीकार करना बहुत कठिन है। सबसे पहले, दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है जिससे पता चले कि गेहूँ की वसूली बचाव साक्षी-7 के घर से की जानी थी या उस दिन डीपी गाँव में वसूली प्रस्तावित थी। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होगा, विशेषकर यदि यह वसूली का प्रयोग था। कहीं न कहीं कुछ अभिलेख अवश्य होंगे। गवाहों द्वारा दाखिल की गई रसीदें प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि उन रसीदों पर यह नहीं लिखा है कि वे वास्तव में कब तैयार की गई थी। वास्तव में, अभियोजन साक्षी-14 के साक्ष्य को नष्ट नहीं किया जा सका, जब उसने कहा कि वह उस स्थान पर पहुंच गया था जहां पर वसूली का काम चल रहा था और लगभग 1 बजे ए-3 अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा। विचारण न्यायालय ने इस साक्ष्य पर गहनता से विचार-विमर्श किया और पाया कि यह विश्वसनीय नहीं है। दोनों स्थानों अर्थात घटनास्थल एम और

**गांव डीपी के बीच 4 किलोमीटर की बहुत कम दूरी को देखते हुए साक्ष्य अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होते हैं। पुलिस उपाधीक्षक बचाव साक्षी-1 का साक्ष्य प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य के मद्देनजर उनके द्वारा तैयार की गई तथाकथित प्रतिवेदन को कुछ भी उजागर नहीं कर सकता। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने अन्यत्र उपस्थिति के बचाव को खारिज करने में सही थे। [कंडिका 16] [100- डी-एच; 101-ए-बी]**

**1.7 वर्तमान मामले में, प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य, यद्यपि वे कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण थे, तीन अभियुक्तों ए-1, ए-5 और ए-9 के विरुद्ध स्वीकार किए जाने योग्य था। इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। [कंडिका 17] [102-बी-सी]**

*सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **2009 (13) एससीसी 790;** *मरनाडु एवं एक अन्य बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु* **2008 (16) एससीसी 529;** *मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **एआईआर 1965 एससी 202;** *यूनिस उर्फ करिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **2003 (1) एससीसी 425;** *रमेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि* **2009 (15) एससीसी 513;** *अख्तर एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य* **2009 (13) एससीसी 722;** *राम दुलार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य* **2003 (12) एससीसी 352;** *मुंशी प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य* **2002 (1) धारा 351- संदर्भित।**

**नज़ीर संदर्भ:**

| | | |
|---|---|---|
| **2009 (13) एससीसी 790** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **2008 (16) एससीसी 529** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **एआईआर 1965 एससी 202** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **2003 (1) एससीसी 425** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **2009 (15) एससीसी 513** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |

| | | |
|---|---|---|
| **2009 (13) एससीसी 722** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **2003 (12) एससीसी 352** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |
| **2002 (1) एससीसी 351** | **संदर्भित** | **कंडिका 17** |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 716-717 वर्ष 2008।

आपराधिक अपील संख्या 296 और 344/2001 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 14 जनवरी 2007 के निर्णय और आदेश से।

साथ

2009 का आपराधिक अपील संख्या 119-122

2008 का आपराधिक अपील संख्या 833

2009 का आपराधिक अपील संख्या 1907

उपस्थित पक्षों के लिए नागेन्द्र राय, एस.बी. सान्याल, शांतनु सागर, स्मरहर सिंह, अभिषेक सिंह, टी. महिपाल, ब्रज के. मिश्रा, अभिषेक यादव, अपर्णा झा, तनुश्री सिन्हा, एम.पी. झा, राम एकबाल रॉय, हर्षवर्द्धन झा, भट्टाचार्जी और कुमुद लता दास (गोपाल सिंह के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

**वी.एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्ति** - 1. यह निर्णय आपराधिक अपील संख्या 716-717/2008, आपराधिक अपील संख्या 119-122/2009, आपराधिक अपील संख्या 833/2008 और आपराधिक अपील संख्या 1907/2009 का निपटारा करेगा। ये सभी अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय के विरुद्ध हैं, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी। प्रारंभ में, भारतीय दंड संहिता (जिसे संक्षेप में भा.दं.सं. कहा जाएगा) की धारा 147, 148, 302, 302 (धारा 34 के साथ) और धारा 109 और 149 के साथ) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 10 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 5.7.1973 को, लगभग 7 बजे, आरोपी व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा बनाई और अपने समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शंभू नाथ सिंह और उनके भाई प्रभु नाथ सिंह, दोनों मृतक व्यक्तियों की हत्या कर दी। बैजनाथ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उसमें आरोप लगाया गया था कि ठाकुर ओझा (ए-4), पतिराम ओझा (अब मृत), अखिलेश ओझा (ए-5), जितेंद्र सिंह (ए-6), राजनाथ सिंह (ए-7), गोरख नाथ सिंह (ए-3), केशव सिंह (ए-9), बच्चा सिंह (ए-8), अदालत पंडित (ए-10), ठाकुर सिंह (ए-1) और राम प्रवेश सिंह (ए-2) उनके भूमि संख्या 4905 पर स्थित आम के बगीचे में गए, जो मौजा-मोहम्मदपुर, थाना गोरखा, जिला सारण में स्थित था, जो गाँव से लगभग तीन फर्लांग की दूरी पर स्थित था।

2. बैजनाथ सिंह ने आगे कहा कि वह अपने दो बेटों शंभू नाथ सिंह और प्रभु नाथ सिंह के साथ अपने बगीचे में गए और आरोपियों द्वारा आम तोड़ने के कृत्य का विरोध किया। यह कहा गया कि पति राम ओझा (मृत अभियुक्त) ने ठाकुर ओझा (ए-4) को उन तीन व्यक्तियों पर हमला करने का आदेश दिया, जिस पर ठाकुर ओझा (ए-4) ने शंभू नाथ सिंह को निशाना बनाकर दो गोलियां चलाई, जो गोली लगने से घायल हो गए और अपने घर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी पर पास के अर्जुन सिंह के बगीचे में जमीन पर गिर गए। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) उसके पीछे गया और शंभू नाथ सिंह की पीठ पर भाला मारा, जबकि शंभू नाथ सिंह अभी भी जमीन पर पड़े थे। इसी बीच ठाकुर ओझा (ए-4) ने बैजनाथ के बड़े बेटे प्रभुनाथ सिंह पर फिर से दो गोलियां चलाई, जिससे वह भी अर्जुन सिंह के बाग में जमीन पर गिर पड़ा। उनके गिर जाने के बाद, राज नाथ सिंह (ए-7), बच्चा सिंह (ए-8) और अदालत पंडित (ए-10) प्रभु नाथ सिंह के पास पहुंचे और भाले से उन पर अंधाधुंध हमला किया और उनके शरीर को राज नाथ सिंह (ए-7) और राम प्रवेश सिंह (ए-2)

द्वारा घसीटा गया। प्राथमिकी में आगे कहा गया कि यह देखकर बैजनाथ सिंह ने खुद को मार डालने की मांग की; हालांकि, पतिराम ओझा (मृत आरोपी) ने कहा कि उसके जैसे वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना बेकार है और उसे भाग जाने दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8), अर्जुन सिंह, भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7), राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) और अन्य लोग मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी घटना देखी थी। दोनों पक्षों के बीच भयंकर दुश्मनी थी हालाँकि वे एक-दूसरे से संबंधित थे, लेकिन उक्त बाग के स्वामित्व और कब्जे को लेकर उनके बीच एक दीवानी विवाद तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सारण के न्यायालय में लंबित था।

3. गरखा पुलिस थाना के सहायक उप-निरीक्षक अब्दुल मलिक द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। अन्वेषण अधिकारी ने मृत अभियुक्त पतिराम ओझा, ठाकुर ओझा (ए-4), जितेंद्र सिंह (ए-6), राज नाथ सिंह (ए-7), केशव सिंह (ए-9), बच्चा सिंह (ए-8), ठाकुर सिंह (ए-1) और राम प्रवेश सिंह (ए-2) को राज नाथ सिंह (ए-7) के घर से गिरफ्तार कर लिया। अन्वेषण अधिकारी ने घर की तलाशी ली और बिस्तर के नीचे चारपाई पर रखी एक डबल बैरल बंदूक बरामद की। जांच के दौरान दो भाले भी बरामद किये गये, जिनके ब्लेड खून से सने हुए थे। जब्तियां की गई और गिरफ्तारियां की गई। इस बीच, गरखा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह (अभियोजन साक्षी-15) मौके पर पहुँचे और सहायक उप-निरीक्षक अब्दुल मलिक से जाँच का कार्यभार संभाला। उन्होंने आगे की जांच की; जब्ती ज्ञापन और घटनास्थल पंचनामा आदि तैयार किया तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। 21.9.1974 को उन्होंने जांच का प्रभार एस.डी. घोष को सौंप दिया, जिन्होंने जांच का प्रभार माधव कांत को सौंप दिया और माधव कांत ने ही कुल 11 आरोपियों (मृत आरोपी पतिराम ओझा सहित) के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोपियों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। सत्र न्यायालय ने

आरोप तय कर दिए। अभियुक्तों द्वारा दोष मुक्त होने के बाद, मुकदमा आगे बढ़ा और मुकदमा समाप्त होने के बाद, अभियुक्तों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, अर्थात् धारा 147, 148, 302, 302 के साथ पठित धारा 34 तथा धारा 109 और 149 भा.दं.सं. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध। पतिराम ओझा (मृत अभियुक्त) को दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि मुकदमे के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इन सभी आरोपियों में से, ठाकुर सिंह (ए-1) और राम प्रवेश सिंह (ए-2) को सत्र न्यायालय ने धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया, जबकि शेष 8 आरोपियों को धारा 148 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया। ठाकुर ओझा (ए-4) और गोरख नाथ सिंह (ए-3) को शंभू नाथ सिंह की हत्या के लिए धारा 302 भा.दं.सं. के तहत मूल अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि ठाकुर ओझा (ए-4), राजनाथ सिंह (ए-7), बच्चा सिंह (ए-8) और अदालत पंडित (ए-10) को प्रभु नाथ सिंह की मौत के लिए धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। शेष 5 आरोपियों अखिलेश ओझा (ए-5), जितेंद्र सिंह (ए-6), केशव सिंह (ए-9), राम प्रवेश सिंह (ए-2) और ठाकुर सिंह (ए-1) पर धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया। इन आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें दायर की गई। जबकि अन्य अभियुक्तों की अपील खारिज कर दी गई, बच्चा सिंह (ए-8) की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया, जिससे उसे किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिल गया। अन्य अपीलें खारिज कर दी गई है और इस प्रकार वर्तमान अपील में 9 आरोपी हमारे समक्ष आए हैं।

4. यह ध्यान देने योग्य बात है कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) ने अन्यत्र उपस्थिति का तर्क दिया था और उस तर्क के समर्थन में 11 बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की थी। बेशक, विचारण न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत पंडित (ए-10) की ओर से भी

कुछ बचाव पक्ष के गवाहों की जांच की गई, जिन्होंने अपने मामले में भी अन्यत्र उपस्थिति का तर्क दिया। लेकिन इस तर्क को भी विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। अन्य अभियुक्तों ने केवल इनकार की दलील दी थी और उनका बचाव भी खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सभी गवाहों के साक्ष्यों का विस्तृत विवरण लिया है। वास्तव में, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के लगभग प्रत्येक गवाह के साक्ष्य की जांच की गई।

5. श्री नागेन्द्र राय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता ठाकुर सिंह (ए-1), राम प्रवेश सिंह (ए-2), अखिलेश ओझा (ए-5), जितेन्द्र सिंह (ए-6) और केशव सिंह (ए-9) की ओर से 2009 का आपराधिक अपील संख्या 119-122 में उपस्थित हुए और मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसी प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. सान्याल ने 2008 का आपराधिक अपील संख्या 833 में अपीलकर्ता गोरख नाथ सिंह (ए-3) की ओर से उपस्थित होकर विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए, जबकि विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. झा, श्री राम इकबाल रॉय, श्री हर्षवर्धन झा और श्री भट्टाचार्य (न्यायमित्र के रूप में कार्य किया) ने अन्य अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों, अर्थात् ठाकुर ओझा (ए-4), राजनाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) की ओर से विचार व्यक्त किए। सुश्री कुमुद लता दास और श्री गोपाल सिंह, विद्वान अधिवक्ता सभी मामलों में राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं और अभियुक्तों की दोषसिद्धि का समर्थन किया है। इसलिए, हम अपील के अनुसार मामले पर विचार करेंगे।

6. श्री नागेन्द्र राय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने 2009 का आपराधिक अपील संख्या 119-122 में अपीलकर्ता ठाकुर सिंह (ए-1), राम प्रवेश सिंह (ए-2), अखिलेश ओझा (ए-5), जितेन्द्र सिंह (ए-6) और केशव सिंह (ए-9) का प्रतिनिधित्व किया, ने सर्वप्रथम ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) की ओर से पक्ष रखा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताने में कष्ट महसूस किया कि किसी भी गवाह ने इन अभियुक्तों में से किसी पर भी

कोई प्रत्यक्ष कृत्य करने का आरोप नहीं लगाया है और वे केवल मूकदर्शक थे। श्री राय ने हमारा ध्यान जिस चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया, वे थे सुकेश्वर सिंह (अभियोजन साक्षी-2), राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4), बद्रीनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-5), भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7) और लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8)। उन्होंने यह बताने में कष्ट महसूस किया कि उच्च न्यायालय ने इन गवाहों में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित किया है, उनके साक्ष्य पर विचार करते हुए, जो लगभग एकमत थे कि उन्होंने ग्यारह अभियुक्तों को देखा था जब वे सूचक (बैजनाथ सिंह) के बाग में आए थे। गवाहों ने बताया कि बैजनाथ सिंह अपने दो पुत्रों शंभू नाथ सिंह और प्रभु नाथ सिंह के साथ थोड़ी देर बाद उक्त बगीचे में आये और आरोपीगण जो आम तोड़ना चाहते थे, उन्हें बैजनाथ ने ऐसा करने से रोक दिया और इस दौरान उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। गवाहों ने दावा किया कि इसके बाद पतिराम ओझा (मृत अभियुक्त) के आदेश पर ठाकुर ओझा (ए-4) ने अपनी बंदूक से दो गोलियां चलाई, जिससे शंभूनाथ सिंह घायल हो गए और पश्चिम दिशा की ओर भागकर अर्जुन सिंह के बगीचे में गिर गए। इसके बाद गोरख नाथ सिंह (ए-3) ने उनकी पीठ पर भाले से हमला किया। जब प्रभु नाथ सिंह शंभू नाथ सिंह की ओर दौड़े तो ठाकुर ओझा (ए-4) ने प्रभु नाथ सिंह पर पुनः दो गोलियां चलाई और वे भी अर्जुन सिंह के बाग में गिर पड़े, जिसके बाद राज नाथ सिंह (ए-7), बच्चा सिंह (ए-8) और अदालत पंडित (ए-10) ने उन पर हमला कर दिया। यह देखा जाना चाहिए कि इस संस्करण के अलावा, साक्ष्य में और कुछ नहीं आया है। यह भी देखा जाना चाहिए कि गवाह राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4), बद्रीनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-5), भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7) और लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8) ने घटना देखी थी। इसके बाद गवाहों ने आरोपियों को घटनास्थल से राज नाथ सिंह (ए-7) के घर की ओर भागते देखा। लगभग यही कहानी राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) ने भी दोहराई, जिन्होंने दावा किया

कि वह वहां मौजूद थे, क्योंकि उन्हें उस स्थान से बांस काटना था, जो सूचक बैजनाथ सिंह के बगीचे के पास था। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की बात भी स्वीकार की। ठाकुर ओझा (ए-4) द्वारा शव को सूचक के बाग में घसीटकर ले जाने का आदेश देने की बात छूट गई।

7. बद्रीनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-5) ने भी दावा किया कि वह बांस काटने के लिए राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) के साथ गए थे और उन्होंने भी लगभग यही विवरण दिया है। भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7) और लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8) ने भी यही कहानी दोहराई है, लेकिन उपरोक्त तीन अभियुक्तों, अर्थात् ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं किया है। इन गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के कंडिका 20 में निष्कर्ष दर्ज किया कि घटना की उत्पत्ति केवल इस तथ्य में निहित है कि जब आरोपी व्यक्तियों ने आम तोड़ने पर जोर दिया, तो शिकायतकर्ता और उसके बेटों ने इस पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने निस्संदेह यह निष्कर्ष सही पाया है कि जिस समय दोनों पक्षों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसी समय आगे की घटना के बीज बोये गये। अंततः, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्तों की पहचान पूरी तरह से स्थापित कर दी गई थी और सभी अपीलकर्ता गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य के रूप में, अपने-अपने हथियारों के साथ घटनास्थल पर गए थे जिसका एक ही उद्देश्य था, सूचक के बगीचे में आम की फसल काटने का अधिकार जताना और वे अभियुक्तों द्वारा ले जाए गए हथियारों की मदद से किसी भी प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार थे और यही दोनों मृतकों पर गोलीबारी का सामान्य उद्देश्य था, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उस आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसके विरुद्ध विशिष्ट साक्ष्य मौजूद थे।

8. हमारी राय में, कम से कम जहां तक उपरोक्त तीन अभियुक्तों, अर्थात् ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हत्या करने की मंशा थी और उन्हें घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति मात्र के आधार पर गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता और उन्हें धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने गवाहों के साक्ष्य को बारीकी से देखा है। निस्संदेह, इन तीन अभियुक्तों का उल्लेख किया गया था और सुकेश्वर सिंह (अभियोजन साक्षी-2) ने केवल इतना कहा है कि अखिलेश ओझा (ए-5) लाठी लिए हुए था। गवाह ने ठाकुर सिंह (ए-1) और केशव सिंह (ए-9) के पास भी कोई हथियार होने का उल्लेख नहीं किया है। राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) के संबंध में, उन्होंने ठाकुर सिंह (ए-1) और अखिलेश ओझा (ए-5) को लाठी लिए हुए बताया है, जबकि केशव सिंह (ए-9) को भाला लिए हुए बताया है। हालाँकि, उन्होंने इन आरोपियों की ओर से किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य या उनके द्वारा इसका उपयोग करने का उल्लेख नहीं किया है। बद्रीनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-5) ने ठाकुर सिंह (ए-1) और राम प्रवेश सिंह (ए-2) के पास लाठी होने का उल्लेख किया है। उन्होंने सामान्य बयान दिया है कि अन्य सभी आरोपी व्यक्ति भाला पकड़े हुए थे। हालाँकि, इस गवाह ने भी उपरोक्त अभियुक्तों, अर्थात् ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) की ओर से किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया है। जहाँ तक राम लखन सिंह (अभियोजन साक्षी-6) का प्रश्न है, वह अपने बयान से मुकर गया है। भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7) ने यह भी कहा है कि ये तीनों आरोपी लाठी लेकर चल रहे थे। लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8) के संबंध में भी कहानी अलग नहीं है। उनका साक्ष्य अत्यंत सामान्य है। कुछ गवाहों ने पतिराम ओझा (मृत अभियुक्त) द्वारा दिए गए उपदेश का भी उल्लेख नहीं किया है। कम से कम जहाँ तक वर्तमान अभियुक्तों का संबंध है, इन तीन अभियुक्तों, अर्थात् ठाकुर सिंह

(ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) की भूमिका दर्शकों की प्रतीत होती है। खेत पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। यहां तक कि दोनों पक्षों के बीच न्यायालयी मुकदमा भी चल रहा था। इसलिए, केवल इसलिए कि अभियुक्तगण लाठियां और हथियार लेकर मैदान में गए थे, कम से कम उस समय तक जब शब्दों का आदान-प्रदान शुरू हुआ और गोली चलाई गई, यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी सभा गैरकानूनी हो गई थी। यह सभा तब गैरकानूनी हो गई जब पतिराम ओझा (मृत अभियुक्त) ने कथित तौर पर ठाकुर ओझा (ए-4) को गोलीबारी का आदेश दिया और जिसने उसके अनुसरण में, शंभू नाथ सिंह पर गोलीबारी की। निस्संदेह, इन तीनों आरोपियों [ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9)] ने मूकदर्शक की भूमिका निभाई, क्योंकि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने शब्दों के आदान-प्रदान में भाग लिया था। ऐसी परिस्थितियों में, इन अभियुक्तों की उपस्थिति के आधार पर एक समान उद्देश्य का आरोप लगाना मुश्किल होगा भले ही वे लाठियों से लैस हों। अखिलेश ओझा (ए-5) के पास भाला होने का कोई सबूत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, संदेह का लाभ इन तीनों आरोपियों को मिलना चाहिए। वे बरी होने के हकदार होंगे क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उनका हत्या करने का एक ही इरादा था।

9. जहां तक बाकी अभियुक्तों का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेन्द्र राय ने जोर देकर कहा कि बेशक राम प्रवेश सिंह (ए-2) और जितेन्द्र सिंह (ए-6) ने प्रभु नाथ सिंह के शव को केवल घसीटा था। यह निश्चित रूप से इन दोनों आरोपी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी होगी। गोलीबारी के बाद भी शव को खेत से घसीटने का खुला कृत्य जारी रखना निश्चित रूप से उन्हें उस गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा बना देगा, जिसका साझा उद्देश्य शंभू नाथ सिंह और प्रभु नाथ सिंह को खत्म करना था। प्रभु नाथ सिंह के शव को घसीटने में इन दोनों आरोपियों की भूमिका का गवाहों द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए, हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

राय द्वारा उठाए गए इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि ये दोनों अभियुक्त भी उन्हीं कारणों से बरी किए जाने के हकदार होंगे जिनके लिए हमने ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) को बरी किया है। इन दोनों अभियुक्तों की अपीलें खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि हम इस बिन्दु पर संतुष्ट हैं कि वे गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य थे।

10. ठाकुर ओझा (ए-4) जिन्होंने वास्तव में बंदूकें चलाई थी, राजनाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) के संबंध में भी यही मामला है। सबूत उनके खिलाफ है जैसा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। वे निश्चित रूप से गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और लगभग सभी गवाहों ने विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। जहां तक ठाकुर ओझा (ए-4) का सवाल है, सभी गवाह इस बात पर एकमत हैं कि गोली उसी ने चलाई थी। इसलिए उनकी अपील खारिज करनी होगी।

11. जहां तक राज नाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) का संबंध है, उन्होंने प्रभु नाथ सिंह पर हमला करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि प्रभु नाथ सिंह के शव को राम प्रवेश सिंह (ए-2) और जितेंद्र सिंह (ए-6) ने घसीटा। गवाहों ने प्रभु नाथ सिंह पर हमला करने के लिए इन आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया है। हम इन अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से संतुष्ट हैं, जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और हमारे पास उन गवाहों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिन्होंने प्रभु नाथ सिंह पर हमले के संबंध में इन अभियुक्तों पर विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है। जहां तक अदालत पंडित (ए-10) का संबंध है, दलील अन्यत्र उपस्थिति की थी, जिसे विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राजीव रंजन श्रीवास्तव (बचाव साक्षी-20), प्रदुमन दुबे (बचाव साक्षी-21), ए.बी. प्रसाद (बचाव साक्षी-22), कर्नल प्रीतम सिंह (बचाव साक्षी-25) और कर्नल अमरीक सिंह (बचाव साक्षी-26) के साक्ष्य पर उनकी गवाही के लिए बहुत अधिक

भरोसा किया गया। राजीव रंजन श्रीवास्तव (बचाव साक्षी-20) डाक रसीद प्रदर्श-6 पर अदालत पंडित (ए-10) के हस्ताक्षर साबित करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ थे। उनके साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उन्होंने फीस लेने के बाद पिछली शाम को ही अपनी प्रतिवेदन तैयार कर ली थी। प्रदुमन दुबे (बचाव साक्षी-21) सैनिक कार्यालय, ओनापुर में प्रधान लिपिक थे और उन्होंने अदालत पंडित (ए-10) के अवकाश पंजिका को प्रदर्श 0 के रूप में प्रमाणित किया। ए.बी. प्रसाद (बचाव साक्षी-22) भी वेतन एवं लेखा कार्यालय, सैनिक कार्यालय, दानापुर में कर्मचारी थे। उन्होंने अदालत पंडित (ए-10) की वेतन पुस्तिका को प्रदर्श पी के रूप में तथा उसकी दोषमुक्ति सूची को प्रदर्श क्यू के रूप में प्रमाणित किया। यह सुझाव दिया गया कि अदालत पंडित (ए-10) 11.6.1973 से 2.7.1973 तक छुट्टी पर थे और उन्हें 26.5.1973 और 3.7.1973 को भुगतान प्राप्त हुआ। उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास किया कि दस्तावेज़ में 3.7.1973 की तारीख़ नहीं थी। कर्नल प्रीतम सिंह (बचाव साक्षी-25) उस समय 10, बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें अदालत पंडित (ए-10) की उक्त तारीख़ पर वास्तविक उपस्थिति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार, कर्नल अमरीक सिंह (बचाव साक्षी-26) ने दावा किया था कि 26.1.1973 के आदेश द्वारा अदालत पंडित (ए-10) की छुट्टी 6.4.1973 से 19.4.1973 तक 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी, क्योंकि अदालत पंडित (ए-10) ने 6.4.1973 को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू नहीं की थी। उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्य को उचित कारणों से खारिज कर दिया है। कर्नल अमरीक सिंह (बचाव साक्षी-26) का यह दावा कि अदालत पंडित (ए-10) 3.7.1973 को यूनिट में मौजूद थे, केवल प्रदर्श पी और क्यू के आधार पर था, जो अदालत पंडित (ए-10) की क्रमशः वेतन पुस्तिका और बरी होने की सूची है। उच्च न्यायालय ने उचित कारण बताते हुए प्रदर्श पी और क्यू को अस्वीकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सही माना है

कि प्रदर्श पी और क्यू को हवलदार द्वारा लापरवाही से बनाए रखा गया था और यह दिखाने का एक खराब प्रयास किया गया था कि अदालत पंडित (ए-10) ने 3.7.1973 को ड्यूटी के लिए प्रतिवेदन किया था। हम इस बात से सहमत हैं कि अदालत पंडित (ए-10) द्वारा दी गई गैरहाजिरी की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर अविश्वास किया जाना चाहिए, जैसा कि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायलय द्वारा किया गया है। हम अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेषकर प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य को स्वीकार करेंगे, जिन्होंने विशेष रूप से इस आरोपी व्यक्ति की सक्रिय भूमिका बताई थी। इसलिए, राजनाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वे गैरकानूनी सभा के सदस्य थे। इसलिए, हम विचारण न्यायालय के फैसले और अपीलीय न्यायालय द्वारा राज नाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) को धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि करते हैं।

12. अब हमारे सामने गोरख नाथ सिंह (ए-3) का मामला बचता है। यह बात सराहनीय है कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) का उल्लेख लगभग सभी गवाहों द्वारा किया गया है। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने इस अभियुक्त द्वारा शंभू का पीछा करने तथा उसकी पीठ पर भाले से वार करने के स्पष्ट कृत्यों का भी उल्लेख किया है। सुकेश्वर सिंह (अभियोजन साक्षी-2) ने अभियुक्त के उक्त कृत्य के संबंध में अपने साक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्रति-परीक्षण से यह पता चला कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) के पास हमले में शामिल होने का कोई कारण या मकसद नहीं था। हालाँकि, इस गवाह के साक्ष्य में मुख्य दावा इस प्रत्यक्ष कृत्य के संबंध में अडिग रहा। राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जहां तक मुख्य घटना का संबंध है, राम प्रसाद सिंह (अभियोजन साक्षी-4) की प्रति-परीक्षण भी कोई महत्व नहीं रखती। बद्रीनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-5) ने भी प्रति-परीक्षण में इस कथन को कोई ठोस

चुनौती दिए बिना यही कहानी दोहराई। सभी गवाहों को एक विशिष्ट सुझाव दिया गया था जैसे कि गोरख नाथ सिंह ने इन गवाहों पर लगान (कर) का अधिपत्र जारी किया हो। भृगुनाथ सिंह (अभियोजन साक्षी-7) ने भी यही कहानी दोहराई और मुख्य घटना पर बहुत कम या कोई प्रति-परीक्षण नहीं की गई। इस गवाह से प्रति-परीक्षण में भी यही रूढ़िवादी धारणा दी गई कि गोरखनाथ ने इस गवाह के पिता के विरुद्ध लगान जारी किया था, जिससे दुश्मनी का संकेत मिलता है। लक्ष्मण सिंह (अभियोजन साक्षी-8) एकमात्र अपवाद है, जिन्होंने यद्यपि इस अभियुक्त की पूरी तरह से सशस्त्र उपस्थिति का उल्लेख किया है, परन्तु शंभू को पीठ में छुरा घोंपने के इस अभियुक्त के प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया है। अन्य चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए हम इस गवाह के साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं देंगे। यह फिर से देखा जाना चाहिए कि शंभू नाथ सिंह और प्रभु नाथ सिंह पर भाले से लगी चोटों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से भी होती है क्योंकि शंभू नाथ सिंह और प्रभु नाथ सिंह दोनों को छर्रों से हुए घावों के अलावा छेदने वाले घाव और चीरे हुए घाव भी हुए थे। शव-परीक्षण प्रतिवेदन डॉ. बी.एम. श्रीवास्तव (मृत) द्वारा तैयार की गई थी, जैसा कि डॉ. जे. सी. ब्रह्मो ने साबित किया है, जिन्होंने शव-परीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई सभी चोटों को साबित किया है। (प्रदर्श 5 और 5/1)। इसलिए, इस तर्क की बहुत कम गुंजाइश है कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने शम्भू नाथ सिंह पर गोली चलाने के बाद उन्हें भाले से घायल नहीं किया था। अपीलकर्ता/अभियुक्त गोरख नाथ सिंह (ए-3) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. सान्याल का यह तर्क कि यह अभियुक्त संबंधित नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पाते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनसे

इस अभियुक्त की गैरहाजिरी की दलील के समर्थन में पूछताछ की गई थी, साथ ही सुल्तान अहमद (अभियोजन साक्षी-14) के साक्ष्य पर भी।

13. सुल्तान अहमद (अभियोजन साक्षी-14) उक्त क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) थे। उन्होंने बताया कि गोरख नाथ सिंह उनके प्रखंड में ग्राम सेवक थे और देवरिया पंचपरिया ग्राम पंचायत में कार्यरत थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बारे में गवाह ने बताया कि वह उस दिन गेहूं की फसल की वसूली के लिए देवरिया गया था और दोपहर करीब एक बजे देवरिया पहुंचा। उन्होंने बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो गोरख नाथ सिंह आधे घंटे बाद पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि उन दिनों गेहूं पर कर लगाने के लिए विशेष योजना बनाई जाती थी। गवाह ने बताया कि उमाशंकर नामक व्यक्ति प्रखंड कृषि अधिकारी था और वह गोरख नाथ सिंह (ए-3) और अन्य गवाहों जैसे कुलदीप सिंह, कर्मचारी (बचाव साक्षी-8), राम सेवक, जन सेवक और मुखिया और पंचायत के सरपंच (बचाव साक्षी-7) के साथ उस समय गेहूं की वसूली कर रहा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल ने इस गवाह के साक्ष्य का लाभ उठाने का प्रयास करते हुए यह भी दावा किया कि उनका यह दावा कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) लगभग 1 बजे वहां पहुंचे थे, सही नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में एक चूक पर भरोसा किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस उपाधीक्षक कपिल नारायण सिन्हा (बचाव साक्षी-1) के साक्ष्य पर भी काफी भरोसा किया, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में तैयार की गई एक प्रतिवेदन की कार्बन कॉपी को साबित किया। यह गोरख नाथ सिंह (ए-3) द्वारा दिए गए आवेदन के कारण था, जिसमें दावा किया गया था कि वह वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और दूसरे गांव में गेहूं की वसूली के कार्य में व्यस्त थे। गवाह ने प्रदर्श सी पर गोरख नाथ सिंह के आवेदन को भी साबित किया। देखा जाए तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उक्त

तथाकथित प्रतिवेदन तैयार करने के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने गोरख नाथ सिंह (ए-ई 3) के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया दूसरा गवाह कैलाश सिंह (बचाव साक्षी-2) था, जिसने गवाही दी कि मुखिया राम सराय सिंह के दरवाजे पर सुबह 6 बजे से वसूली की जा रही थी और वहां पर गेहूं का वजन लेने के बाद उसका भुगतान किया जा रहा था। उनके अनुसार, अन्य गवाह राम सेवक राय गेहूं तौल रहे थे। उनके अनुसार, उनके गेहूं का वजन भी लिया गया और उसकी रसीद गोरख नाथ सिंह (ए-3) द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित की गई तथा रसीद पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उन्हें भुगतान भी कर दिया गया। उन्होंने प्रदर्श डी प्रस्तुत किया जो उस दिन गोरख नाथ सिंह (ए-3) द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित रसीद थी। हालाँकि, प्रति-परीक्षण के दौरान, वह यह नहीं दिखा पाया कि बीडीओ ने उसे कोई नोटिस दिया था और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि बीडीओ ने उससे कभी वसूली नहीं मांगी थी। मुंशीलाल राय (बचाव साक्षी-3) ने भी यही साक्ष्य दिया, जिन्होंने बताया कि वे सुबह करीब छह बजे वसूली का गेहूं लेकर मुखिया राम सराय के घर पहुंचे थे। उन्होंने यह भी बताया कि राम सेवक राय गेहूं तौल रहे थे और गोरख नाथ सिंह (ए-3) रसीद (प्रदर्श डी-1) पर लिख रहे थे। वह वह नोटिस प्रस्तुत नहीं कर सका जो कथित तौर पर विभाग द्वारा उसे वसूली के लिए दिया गया था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे कितना वसूली गेहूं देना है। गवाह भी ऐसा कुछ नहीं दिखा सका जिससे पता चले कि किसी खास घर से वसूली की जा रही थी। उसने साफ-साफ स्वीकार किया कि वह बीडीओ से कभी नहीं मिला।

15. राम प्रवेश सिंह (बचाव साक्षी-4) का साक्ष्य भी इसी प्रकार का था, जिन्होंने सामान्यतः वसूली गतिविधि के बारे में बताया तथा दावा किया कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) ही उस दिन रसीदें लिख रहे थे तथा राशि वितरित कर रहे थे तथा वसूली का कार्य सुबह 6 बजे

शुरू हुआ था तथा गोरख नाथ सिंह उस समय से वसूली समूह के साथ थे। फुलकन मांझी (बचाव साक्षी-5) का साक्ष्य भी ऐसा ही था, जो मधुपुर, थाना गोरखा, जिला सारण में चौकीदार थे। उन्होंने वसूली की उक्त गतिविधि के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) वहां मौजूद थे और रसीद लिख रहे थे तथा किसानों को पैसे दे रहे थे। राम सराय सिंह (बचाव साक्षी-7) देवरिया, पंचपरिया ग्राम पंचायत के मुखिया थे, जिन्होंने दावा किया कि उनके दरवाजे पर विशेष वसूली चल रही थी, जो सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी। गवाह ने आगे दावा किया कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) वसूली गेहूं की रसीदें बनाने के बाद उसकी कीमत चुका रहा था और उसने यह काम उस दिन सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक किया था। हालाँकि, गवाह कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सका जिससे पता चले कि वसूली का काम उसके यहाँ किया गया था। कुलदीप नारायण सिंह (बचाव साक्षी-8) का साक्ष्य भी इसी प्रकार का था। वह एक कर्मचारी थे और उन्होंने बताया कि 5.7.1973 को वसूली चल रही थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) वसूली के लिए मौजूद थे और उस दिन सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। राम लाल मांझी (बचाव साक्षी-9) का साक्ष्य भी इसी प्रकार का था, गोरख नाथ सिंह (ए-3) के मकान मालिक विद्या नारायण सिंह का साक्ष्य भी इसी प्रकार का था, जिन्होंने बचाव साक्षी-10 के रूप में दावा किया था कि गोरख नाथ सिंह (ए-3) ने उनके घर में कमरा लिया था और सुबह 5.45 बजे वसूली के काम के लिए गए थे। गोरखा प्रखंड में पंचायत सेवक रहे आदित्य नारायण सिंह (बचाव साक्षी-11) का साक्ष्य भी इसी प्रकार का था। उन्होंने एक दस्तावेज़ को प्रदर्श डी एफ के रूप में प्रमाणित किया, जो पर्ची (रसीद) की कार्बन कॉपी थी, साथ ही प्रदर्श 3/2 और 3/3 भी गोरख नाथ सिंह (ए-3) के हस्ताक्षर वाले रजिस्टर थे। राम नगीना सिंह (बचाव साक्षी-16) और सोना लाल साह (बचाव साक्षी-17) ने भी वसूली के बारे में दावा किया। दोनों न्यायालयों ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य

को स्वीकार करने का फैसला किया और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य को खारिज कर दिया।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी गवाह इस अर्थ में हितधारक गवाह थे कि वे गोरख नाथ सिंह (ए-3) के सहकर्मी थे। इससे पहले कि हम इस साक्ष्य की सराहना करें, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस स्थान पर घटना घटी थी और जिस स्थान पर आरोपी गोरख नाथ सिंह ने मौजूद होने का दावा किया था, उनके बीच की दूरी बहुत कम है। माना कि यह 3 या 4 किलोमीटर है। जब सभी गवाहों ने दावा किया कि वसूली का काम सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था, तो यह दावा स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। प्रथमतः, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है जिससे पता चले कि गेहूं की वसूली मुखिया राम बरई सिंह (बचाव साक्षी-7) के घर पर एकत्र की जानी थी या उस दिन वसूली देवरिया पंचपरिया गांव में आयोजित करने का प्रस्ताव था। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि इसमें कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होगा, विशेषकर यदि यह वसूली का मामला हो। कहीं न कहीं कुछ अभिलेख अवश्य होंगे। हम उन रसीदों से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं, जो गवाहों द्वारा दाखिल की गई है, क्योंकि उन रसीदों पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वे वास्तव में कब तैयार की गई थी। वास्तव में, सुल्तान अहमद (अभियोजन साक्षी-14) के साक्ष्य को नष्ट नहीं किया जा सका, जब उसने कहा कि वह उस स्थान पर पहुंच गया था जहां वसूली का काम चल रहा था और लगभग 1 बजे गोरख नाथ सिंह (ए-3) अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे। विचारण न्यायालय ने इस साक्ष्य पर गहनता से विचार किया और पाया कि यह विश्वसनीय नहीं है। दोनों स्थानों अर्थात घटनास्थल मौजा मोहम्मदपुर और ग्राम देवरिया पंचपरिया के बीच मात्र 4 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए साक्ष्य अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होते हैं। हम पुलिस उपाधीक्षक कपिल नारायण सिन्हा (बचाव साक्षी-1) के साक्ष्य से भी प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य

के मद्देनजर उनके द्वारा तैयार की गई तथाकथित प्रतिवेदन को कुछ भी उजागर नहीं कर सकता। हमारी राय में, विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय ने अन्यत्र उपस्थिति के बचाव को खारिज करके सही किया।

17. बहस के दौरान कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार है:-

(i) *सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [2009 (13) एससीसी 790]। इस निर्णय का आधार यह दर्शाना था कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी की जांच न करने से अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित होगा। ऐसा संभवतः यह दिखाने के लिए किया गया था कि मूल चिकित्सक (डॉ. बी.एम. श्रीवास्तव) जिन्होंने शव-परीक्षण किया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और शव-परीक्षण प्रतिवेदन को एक अन्य चिकित्सक डॉ. जे.सी. ब्रह्मो द्वारा प्रमाणित किया जाना था। हमें प्रतिवेदन में कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि इसे दूसरे डॉक्टर ने साबित कर दिया है।

(ii) *मरनाडु एवं एक अन्य बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु* [2008 (16) एससीसी 529]। यह निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत कानून के प्रश्न पर है। इस न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार करने के प्रति आगाह किया है, विशेषकर धारा 149 भा.दं.सं. से संबंधित मामलों में। हमें यह मामला अभियोजन पक्ष के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं लगता। हालाँकि, साक्ष्य की सराहना के सिद्धांतों को बताते हुए, इस न्यायालय ने *मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [एआईआर 1965 एससी 202] के निर्णय पर अवलंबन किया, जिसमें यह देखा गया था कि:-

"यह कहना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध गवाहों का साक्ष्य है। ऐसे

साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से खारिज करना कि यह पक्षपातपूर्ण है, निश्चित रूप से न्याय की विफलता का कारण बनेगा।"

हम इस मामले में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य, हालांकि वे कुछ हद तक पक्षपातपूर्ण थे, स्वीकार किए जाने योग्य थे, सिवाय उन तीन आरोपियों के, जिन्हें बरी कर दिया गया। हमने उस साक्ष्य को स्वीकार करने और तीन अभियुक्तों को बरी करने के कारण भी बताए हैं, जिन्हें गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

(iii) *यूनिस उर्फ करिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य* [2003 (1) एससीसी 425]। इस निर्णय का आधार यह सुझाव देने के लिए दिया गया था कि जब आठ अभियुक्तों ने घातक हथियारों से लैस होकर, दिनदहाड़े बाज़ार में मृतक पर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इसे कई व्यक्तियों ने देखा, जिनमें से तीन प्रत्यक्षदर्शी थे और जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही एक-दूसरे से मेल खा रही थी, वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की मौखिक गवाही के साथ-साथ चिकित्सा और अन्य साक्ष्यों ने अपराध के घटित होने की पुष्टि की। वास्तव में, इस मामले में निर्णय पूरी तरह से बचाव पक्ष के खिलाफ है। यह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत मामला था, जिसे साक्ष्यों और उचित कारणों के आधार पर स्थापित माना गया।

(iv) *रमेश एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि इत्यादी* [2009 (15) एससीसी 513]। यह इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना पर भी एक निर्णय है। इस मामले में भी यह माना गया कि चश्मदीद गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास, विसंगतियां, अतिशयोक्ति और अलंकरण होना स्वाभाविक था, तथापि,

वे स्वयं गवाह की विश्वसनीयता का निर्णय नहीं कर सकते थे, जिसका परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाना था।

संदर्भित अन्य निर्णय *अख्तर एवं अन्य बनाम उत्तराँचल राज्य* [2009 (13) एससीसी 722], *राम दुलार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य* [2003 (12) एससीसी 352] और *मुंशी प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य* [2002 (1) धारा 351] है, जो अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं।

18. परिणामस्वरूप, ठाकुर सिंह (ए-1), अखिलेश ओझा (ए-5) और केशव सिंह (ए-9) की अपीलें स्वीकार की जाती है तथा राम प्रवेश सिंह (ए-2), गोरख नाथ सिंह (ए-3), ठाकुर ओझा (ए-4), जितेंद्र सिंह (ए-6), राजनाथ सिंह (ए-7) और अदालत पंडित (ए-10) की अपीलें ऊपर बताए गए कारणों से खारिज की जाती हैं। बरी किए गए अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो। यदि कोई जमानत बंध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

एन.जे. अपीलों का निपटारा कर दिया गया।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**